तारीख हुक्म	देवेन्द्र बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़) सू.अ.अपील संख्या 193/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.22	अपीलार्थी देवेन्द्र सिंह निवासी प्लॉट न. 153, प्रेम नगर, बनाड़ रोड़, नान्दडी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2021 में उसके द्वारा उपखंड अधिकारी, भोपालगढ़ कार्यालय में राज्य स्तरीय ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक आवेदन किया गया है जो कि लेवल–2 पर रिजेक्ट किया जा रहा है तथा पटवारी रिपोर्ट मांगी जा रही है। स्टेट लेवल पर ई.डब्ल्यू.एस बनवाने के लिए पटवारी रिपोर्ट क्यों मांगी जा रही है, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, भोपालगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखंड अधिकारी, भोपालगढ़) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखंड अधिकारी, भोपालगढ़) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, भोपालगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	